न्यायालयः—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन जिला बून्दी

पीठासीन अधिकारी :— **डॉ. ऋचा चायल,आर.जे.एस.**

सी.आई.एस.संख्या :— **143 / 2025**

सी.एन.आर. नम्बर :— **RJBD080003742025**

1. अंकिता पत्नी अंशु पुत्री खेमराज, निवासी रंगबाड़ी, पुलिस थाना महावीर नगर कोटा, हाल निवास ग्राम लेसरदा, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.)
2. वैदांश जरिये संरक्षक माता अंकिता पत्नी अंशु पुत्री खेमराज, निवासी रंगबाड़ी, पुलिस थाना महावीर नगर कोटा, हाल निवास ग्राम लेसरदा, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.)

——प्रार्थीगण

—बनाम—

अंशु पुत्र रामप्रसाद, निवासी रंगबाड़ी, पुलिस थाना महावीर नगर कोटा, जिला कोटा (राज.)

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

उपस्थिति :—
1. श्री जनकराज मीणा, अधिवक्ता — प्रार्थीगण की ओर से।
2. अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

आदेश **दिनांकः—20.04.2026**

1. प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 का विवाह अप्रार्थी अंशु से हुआ था। विवाह के बाद प्रार्थिया ससुराल आने जाने लगी, लेकिन शुरू से ही अप्रार्थी व उसके परिवार वाले आये दिन प्रार्थिया को परेशान करने लगे। प्रार्थिया जब भी अपने पीहर जाती तो अपने माता—पिता को बताती, तो उसके माता—पिता उसे समझा बूझाकर वापस ससुराल भेज देते, लेकिन अप्रार्थी व उसके परिवार वालों का व्यवहार प्रार्थिया के प्रति नहीं बदला।

प्रार्थिया जब तीन माह के गर्भ से थी तो उसे मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। प्रार्थिया ने अपने पिता को फोन किया तो प्रार्थिया के पिता उसे लेकर ग्राम लेसरदा आ गए। प्रार्थिया के पीहर आने के बाद अप्रार्थी ने उसकी कोई सार संभाल नहीं ली और प्रार्थिया को ससुराल आने से मना कर दिया। जिसके बाद प्रार्थिया ने अपने पीहर में पुत्र वैदांश को जन्म दिया। उसके डेढ वर्ष बाद प्रार्थिया के माता–पिता व रिश्तेदारों द्वारा अप्रार्थी व उसके परिवार से समझाईश कर प्रार्थिया को ससुराल भेज दिया। प्रार्थिया के ससुराल जाने के कुछ दिन बाद फिर से दहेज के लिए ताने मारने लगे और कहने लगे कि दहेज की मांग को पूरा करे तभी उनके घर आना। दिनांक 16.10.2024 को रात्रि ग्यारह बजे अप्रार्थी, सास व ननद ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया। प्रार्थिया उसी दिन से अपने पीहर ग्राम लेसरदा में निवास कर रही है। प्रार्थिया के स्त्रीधन को भी देने से मना कर दिया। प्रार्थिया ग्राम लेसरदा में निराश्रित जीवन यापन कर रही है। अप्रार्थी रंगबाड़ी कोटा में ड्राईक्लिन व प्रेस की दुकान चलाता है जिससे 50,000 / –रूपए मासिक कमाता है, जो प्रार्थिया का भरण पोषण करने में समर्थ है। प्रार्थिया को अपने भरण पोषण के लिए 15,000 / –रूपए व नाबालिग पुत्र वेदांश के लिए 10,000 / –रूपए इस प्रकार कुल 25,000 / –रूपए मासिक की आवश्यकता है। प्रार्थिया वर्तमान में ग्राम लेसरदा में निवास कर रही है जिससे परिवाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अंत में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रावधानित सम्पत्ति शपथ पत्र पेश किया गया है।

2. अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया, बाद तामिल अप्रार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 21.01.2026 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

3. प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिए स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है।

4. सुना गया। पत्रावली पर पेश किये अभिकथनों के आधार पर पेश किये गये प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को निम्न विचारणीय बिन्दु पर विवेचन किया जाना है :–

1. क्या अप्रार्थी अंशु पर्याप्त साधन होने के बाद भी स्वयं की पत्नी व बच्चे के भरण पोषण में उपेक्षा कारित कर रहा है?

2. यदि हॉ, तो प्रार्थिया व उसके बच्चे के भरण पोषण के लिए आवश्यक विधिसम्मत आदेश क्या है?

<u>विचारणीय बिन्दु 1</u>

5. उक्त बिन्दु को साबित किये जाने का भार प्रार्थिया पर है, जिसे साबित किये जाने के लिये प्रार्थिया द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थिया द्वारा शपथ पत्र में इस आशय के कथन किये गये हैं कि उसका विवाह अप्रार्थी अंशु के साथ हिन्दू रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ था। प्रार्थिया द्वारा शपथ पत्र में इस आशय के तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित किये गये हैं कि विवाह के पश्चात अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया से दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की जाती थी। वर्तमान में प्रार्थिया अपने पिता के घर निवास कर रही है तथा प्रार्थिया स्वयं के भरण पोषण के लिये स्वयं की कोई आय का स्त्रोत नहीं रखती है। पत्रावली पर प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी से अलग निवास किये जाने का स्पष्ट कारण अप्रार्थी का दहेज की मांग कर शारीरिक व मानसिक क्रूरता पूर्ण व्यवहार अंकित किया गया है। प्रार्थिया द्वारा शपथ पत्र पेश कर अप्रार्थी का रंगबाडी कोटा में ड्राईक्लिन व प्रेस की दुकान चलाना जाहिर किया है, जिससे अप्रार्थी को 50,000/–रूपए प्रतिमाह आय अर्जित किया जाना जाहिर किया गया है।

6. पत्रावली पर पेश किये गये साक्ष्य से यह प्रमाणित तथ्य है कि प्रार्थिया अप्रार्थी की विवाहित पत्नी है, जिसके भरण पोषण की विधिक तथा नैतिक जिम्मेदारी अप्रार्थी की है। प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी का रंगबाडी कोटा में ड्राईक्लिन व प्रेस की दुकान चलाना जाहिर किया है, परन्तु प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी के पास आय के उक्त साधन होने के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है।

7. इस संबंध में विधिक दायित्व से संबंधित प्रावधान का अवलोकन किये जाने से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट है कि केवल अप्रार्थी की ही स्वयं की पत्नी के भरण पोषण की नैतिक तथा विधिक जिम्मेदारी है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थिया के द्वारा अप्रार्थी से अलग रहने का कारण अप्रार्थी द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से

प्रताड़ित किया जाना जाहिर किया गया है जिसका खंडन अप्रार्थी के द्वारा नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा वर्तमान में प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के बाद प्रार्थिया के भरण पोषण के दायित्व का निर्वहन किये जाने से संबंधित कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। एतद्द्वारा इस स्तर पर न्यायालय उपरोक्त विवेचन से यह इस स्तर पर प्रमाणित पाता है कि अप्रार्थी द्वारा पर्याप्त साधन होने के बाद स्वयं की पत्नी तथा बच्चे के भरण पोषण की उपेक्षा की गई है। अतः विचारणीय बिंदु संख्या–1 प्रार्थिया के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>आदेश</u>

8. विचारणीय बिंदू संख्या–1 प्रार्थिया के पक्ष में तय किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रार्थिया विरूद्ध अप्रार्थी एकपक्षीय स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी अंशु प्रार्थिया के भरण पोषण के लिये प्रतिमाह 5,000 / – रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) व उसके बच्चे के भरण पोषण के लिए प्रतिमाह 2,000 / –रूपये (अक्षरे दो हजार रूपये), इस प्रकार कुल 7,000 / –रूपये (अक्षरे सात हजार रूपये) प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की दिनांक 21.03.2025 से अदा करेगा। उक्त पुत्र वैदांश उक्त राशि उसकी 18 वर्ष (बालिग होने) की आयु तक ही प्राप्त करेगा। उक्त राशि अप्रार्थी प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रार्थिया को अदा करेगा। इस प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य किसी प्रकरण में प्रार्थिया के द्वारा प्राप्त की जा रही भरण पोषण की राशि समायोजित समझी जायेगी। प्रार्थिया के द्वारा जरिये रजिस्ट्री स्वयं का बैंक खाता संख्या अप्रार्थी को उपलब्ध करवाये जाने पर अप्रार्थी प्रार्थिया के खाते में भरण पोषण राशि जमा करवा सकेगा।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी

9. आदेश आज दिनांक 20.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी